ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

''अभिरूचि की अभिव्यक्ति''

दिल्ली, आगरा एवं मथुरा शहर में
साँची वितरक हेतु आवेदन प्रपत्र
वर्ष 2023–26

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर
गोला का मन्दिर, ग्वालियर–474005
दूरभाष – 0751–2365523,2368107

मोनो

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

गोला का मन्दिर, ग्वालियर–474005

दूरभाष – 0751–2365523,2368107

अति आवश्यक सूचना

।। अभिरूचि की अभिव्यक्ति।।

साँची वितरक नियुक्ति हेतु आमंत्रण

दिल्ली, आगरा एवं मथुरा में सुप्रसिद्ध **साँची** दूध, दुग्ध उत्पाद, मिठाईयॉ, कुकीजं एवं घी के वितरण एवं विक्रय के लिये वितरक नियुक्त करने के लिये वित्तोय रूप से सुदृढ़ एवं FMCG कार्य के अनुभवी व्यवसायियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। कार्य अवधि तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी, जिसमें अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

इच्छुक आवेदनकर्ता/फर्म वेबसाइट www.sanchidairy.com से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर, पूर्ण भरे हुए आवेदन प्रपत्र दिनांक 30–01–2023 तक किसी भी कार्य दिवस में ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,गोला का मन्दिर,ग्वालियर कार्यालय में जमा कर सकते है, अथवा रजिस्ट्रर्ड डॉक/स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आवेदन प्रपत्र निशुल्क है, प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ई.एम.डी. राशि रूपये 5000/– का ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित'' के नाम देय बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। किसी भी अथवा समस्त आवेदन पत्रों को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।

अन्य नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं।

सम्पर्क नम्बर–9406900719, 9406900720

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की आरम्भ तिथि एवं समय	दिनांक 01–01–2023 दोपहर 01:00 बजे
2	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	30–01–2023 सांय 5:30 बजे तक
3	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	02–02–2023 दोपहर 02:00 बजे
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	5000=00 (रूपये पांच हजार मात्र) ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर'' के नाम से देय हो।
5	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	निःशुल्क
6	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मन्दिर,ग्वालियर
7	वितरक हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तो का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
8	वितरक चयन हेतु अंक तालिका	प्रपत्र – 03
9	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र – 04
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 05

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र क्रमांक 01 ''तकनीकी अर्हताएं'' प्रपत्र क्रमांक 02 ''सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 4 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 5 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक ''बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर दिल्ली/आगरा/मथुरा शहर के लिये ''साँची वितरक हेतु आवेदन'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों क अतिरिक्त आवेदक की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र – 01, 02, 03 एवं 04 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 07 पर सॉची दूध एवं उत्पादों की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूंजी निवेश का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

तकनीकी अहताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम व पता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य)		प्रोपराइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/पार्टनरशिप डीड/ पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2	आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति।
3	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर।		पेनकार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4	आवेदनकर्ता का जी.एस.टी. (GST) नम्बर		GST नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
5	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम एवं चालू (Current) खाता क्रमांक		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चैक सलंग्न करें।
6	आवेदनकर्ता को 01 वित्तीय वर्ष 2021–22 का आयकर जमा (ITR) विवरण सलंग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2021–22 का आयकर जमा (ITR) विवरण सलंग्न करें।
7	आवेदनकर्ता के पास स्वयं का वैध FSSAI लायसेन्स।		वैध FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8	जमा की गई ईएमडी राशि रूपये 5000/– (रू. पांच हजार मात्र) का ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित'' के नाम का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।		राशि रूपये 5000/– (रू. पांच हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें।
9	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत् रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन प्रपत्र के परिशिष्ट **'अ'** पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।
10	आवेदनकर्ता का एम.पी.सी.डी.एफ. एवं इसके अधिनस्थ दुग्ध संघों/अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी कार्य हेतु रिकॉर्ड खराब नही है। (इस बाबत् रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		रिकॉर्ड खराब न होने के संबंध में रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप **'ब'** अनुसार संलग्न करें।

11	आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नही है। (इस बाबत् रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन पत्र के परिशिष्ट **'स'** पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।
12	आवेदनकर्ता यदि वर्तमान में एमपीसीडीएफ/इसके अधीनस्थ दुग्ध संघ के साथ किसी भी कार्य हेतु अनुबंधित/कार्यरत है व आवेदन प्रस्तुत कर रहे है तो संबंधित दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट **'द'** पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। (एम.पी.सी.डी.एफ./इसके अधीनस्थ दुग्ध संघ के साथ कार्य करने की स्थिति में ही प्रस्तुत करें)।
13	आवेदनकर्ता के पास FMCG कार्य का न्यूनतम गत 02 वर्षों का अनुभव (कुल न्यूनतम टर्न ओव्हर 02 करोड) होना आवश्यक है।		02 वर्षों की बेलेंस शीट सीए द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

नोटः–

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची वितरकशिप को निरस्त कर ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझ मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर .....

नाम––––––––––––––––

पता––––––––––––––––
––––––––––––––––
पिन कोड़ नम्बर ––––––––––––––––
दूरभाष नम्बर ––––––––––––––––
मोबाईल नम्बर ––––––––––––––––

साँची वितरक कार्य के लिये आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को पात्रता की शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. अपूर्ण आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।
3. आवेदन के साथ आवेदनकर्ता/कम्पनी/फर्म के डायरेक्टर का स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता को जिस शहर के सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन किया गया है उस शहर का विक्रय कार्यक्षेत्र/अनुभव (न्यूनतम 2 वर्ष) एवं उस शहर में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट होना आवश्यक है एवं अन्य बाहर कार्यरत आवेदकों के आवेदन स्वीकार किये जाऐंगे।
4. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 5000/– (अक्षरी रू. पांच हजार मात्र) का डी.डी ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
5. यदि कोई ऐसा आवेदन प्राप्त होगा जिसका एम.पी.सी.डी.एफ.भोपाल/इससे संबद्ध दुग्ध संघों या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में कोई रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में आवेदक पर एम.पी.सी. डो.एफ./इससे संबद्ध दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों की नीतियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो तो ऐसे आवेदन को दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवेदन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जोयगा एवं आवेदन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. वर्तमान में जिन आवेदकों के विरूद्ध एम.पी.सी.डी.एफ.भोपाल अथवा किसी भी दुग्ध संघ मे आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी. की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहों होगे एवं न ही ऐसे आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।
7. आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत सुरक्षा राशि रूपये 02 लाख जिसमें 1.00 लाख नगद/डीडी द्वारा एवं रूपये 01.00 लाख की बैंक गारंटी एक मुश्त जमा करानी होगी। नगद जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. वितरक को कार्य स्वीकृति के पश्चात् पूर्व हस्ताक्षरित 20 चैक की चैक बुक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. भविष्य में वितरण/विक्रय मात्राओं मे बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत् सुरक्षा राशि मे वृद्धि करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा जिसे जमा करने हेतु वितरक बाध्य रहेगा।
10. वितरक के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत दो वित्तीय वर्षों में कुल **2 करोड़** का टर्न ओव्हर होना आवश्यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बेलेंसशीट संलग्न करना होगी।
11. सॉची वितरक को दूध एवं उत्पादों के रखरखाव, व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था स्वयं करनो होगी।
12. सॉची वितरक को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहन/वितरण/विक्रय हेतु दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित तापमान एवं क्षमता का स्वयं का अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड वाहन लगाना अनिवार्य होगा। वितरण कार्य में लगाये जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज जमा कराना होगा।
13. वितरक को अपनी मांग कम से कम एक दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी।किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। वितरक कोमांग अनुसार क्रय किए जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद राशि का अग्रिम भुगतान दुग्ध संघ को RTGS/NEFT द्वारा दुग्ध संघ के बैंक खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। अग्रिम भुगतान पर ही दूध एवं अन्य उत्पाद प्रदाय किए जायेगें।

14. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले वितरक की राशि का भुगतान दुग्ध संघ को निर्धारित समय में प्राप्त हो सके, इस हेतु राशि की व्यवस्था वितरक को अपने खाते में सुनिश्चित करना होगी।

15. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को आवंटित शहर में साँची दूध एवं अन्य उत्पाद की उसके द्वारा लिखित मे सूचित पते पर सिगल पांइट डिलेवरी की जावेगी।

16. सॉची वितरक को प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगी। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट अथवा गुणवत्ता की जिम्मेदारी वितरक की रहेगी।

17. आवेदन स्वीकति के उपरान्त वितरक की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रवाभशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यावसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित मार्जिन पर कार्य अवधि एक–एक करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

18. वितरक को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पंजीकृत अनुबंध संपादित करना होगा।

19. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वितरक दूध एवम् समस्त उत्पादों का वितरण/विक्रय करेगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा वितरक को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध, साँची के समस्त उत्पादों आदि का वितरण/विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रू. 5000/– का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन वितरक को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

20. वितरक को मांग प्राप्त होने के उसी दिवस में प्रदाय करना होगा अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा विक्रेताओं/ उपभोक्ताओं को सीधे प्रदायगी की जा सकेगी। इस प्रकार प्रदायित दूध एवं उत्पाद की मात्रा पर वितरक को कोई कमीशन देय नहीं होगा।

21. वितरक को आवंटित सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में निर्देशानुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा। नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक को पर्याप्त विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में रखना होगा जिसमे आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।

22. साँची वितरक को दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार निर्धारित मार्जिन/कमीशन दिया जावेगा। दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर साँची दूध एवम् साँची के समस्त उत्पाद की दर एवम् मार्जिन सम्बन्धी जारी किये गये पत्र/परिपत्र/आदेश वितरक पर बंधनकारक रहेंगे।

23. वितरक द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित लागू समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर–निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनो गये किसी भी नियम का पालन करना वितरक की जिम्मेदारी रहेगा।

24. विद्युत, जल बिल का भुगतान वितरक द्वारा स्वयं किया जाएगा।

25. आवेदनकर्ता को विधिसमस्त उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित वितरक की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में यह कार्य संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी कार्य संबंधी समस्त लेनदारी–देनदारी का निराकराकण करेगा।

26. वितरक को दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के विक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएगें। लक्ष्य पूर्ण नही होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।

27. वितरक विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकताअनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।

28. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

29. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

30 वितरक का चयन तकनीकी अर्हता पूर्ण करने पर ही किया जावेगा ।एक स्थान के लिए एक आवेदन प्राप्त होने एवं तकनीकी अर्हता पूर्ण करने पर भी वितरक नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। यदि दो या दो से अधिक तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदक होने पर अधिक टर्न ओव्हर एवं सुदृड इन्फ्रास्टक्चर वाले आवेदनकर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।

31. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

32. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त सम्बन्धी एवम् आश्रित परिवार के सदस्य वितरक के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् आवेदनकर्ता को शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

33. आवेदनकर्ता का एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों/अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी कार्य हेतु रिकार्ड खराब नही है। इस बाबत् रू. 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

34. आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। इस बाबत् रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मेरे द्वारा साँची वितरक हेतु आवेदन की समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं आवेदन की शर्तो एवं अनुबंध में वर्णित शर्तों का पालन नही करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हू।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता/ मोबाईल नम्बर

प्रपत्र क्रमांक – 04

साँची वितरक हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम – .....

2. पिता/पति का नाम – .....

3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) – .....
   दूरभाष नं. /मोबाईल नं. – .....

4. शैक्षणिक योग्यता – .....

5. आवेदक/फर्म का नाम /यदि – .....
   फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप
   फर्म की पूर्ण जानकारी
   (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।

6. वर्तमान व्यवसाय – .....

7. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओव्हर – .....
   (टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) – .....
   (अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा – .....
   (ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में – .....
   जमा राशि
   (गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें।)

9. वितरक हेतु आवश्यक – .....
   पूँजी की व्यवस्था – .....

10. जी.एस.टी. नम्बर – .....

11. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा – .....
    अनुबंधित वाहन होना आवश्यक) – .....
    वाहन के पंजीयन/अनुबंध की – .....
    छायाप्रति संलग्न करें।

12. भण्डारण हेतु – .....
वर्तमान क्षमता / व्यवस्था – .....

13. धरोहर / ई.एम.डी. राशि – रू.....
डी.डी. / एम.आर.नं – .....

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता / मोबाईल नम्बर

.....
.....
.....
.....

प्रपत्र क्रमांक – 05

मध्य प्रदेश के बाहर..... (शहर व राज्य) में वितरक कार्य हेतु अनुबंध पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमती/मैसर्स .... आत्मज/पति/प्रोपराईटर..... आयु ..... निवासी..... (शहर व राज्य) मे (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक..... को निष्पादित किया गया हैं :–

1. यह कि प्रथम पक्ष साँची दूध व अन्य साँची के समस्त उत्पाद वितरण/विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर द्वितीय पक्ष को दूध व अन्य साँची के समस्त उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु सॉची वितरक अधिकृत करता है।

2. (क) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। वितरक द्वारा इस कार्य का दुरूपयोग करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्य हेतु अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। (दुग्ध संघ की ओर से हटाए जाने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त नही की जावेगी)।

(ब) वितरक अनुबंधित अवधि में एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु 30 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर उक्त कार्य हेतु अनुबंध समाप्त कर सकेगा किन्तु दुग्ध संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा। साथ ही इस दशा में वितरक की 25 प्रतिशत संघ में जमा प्रतिभूति/सुरक्षा निधि दुग्ध संघ द्वारा जब्त की जाएगी। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि पूर्व में ही नया पता सूचित नही किया गया है तो इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा । (वितरक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व स्वयं की इच्छा पर कार्य छोड़ने की स्थिति में संघ में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी)।

3. कार्य अवधि तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी। तीन वर्ष की अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शतो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परंतु अनबंध की अवधि में बढोतरी किसी भी पक्ष के लिए अधिकार नही होगा। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुये पुनः आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वंत्रत होगा।

4. कार्य आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि प्रथम पक्ष द्वारा कार्य निरस्त किया जाता है या द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य छोड़ा जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा रू. 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का रिफण्ड लेने के पूर्व वितरक को दुग्ध संघ से बकाया लेनदेन क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो डयूज सार्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।

5. द्वितीय पक्ष को मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों मे साँची वितरक स्वरूप कार्य करने हेतु रू. 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) (50 प्रतिशत नगद एवं 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में) सुरक्षा राशि निधि/प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। द्वितीय पक्ष को केवल अग्रिम भुगतान पर ही दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद प्रदाय किए जाएंगे।

6. यह कि भविष्य में वितरक/विक्रय मात्राओं में बढ़ोतरी के दृष्टिगत् प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।

7. यह कि प्रतिभूति/सुरक्षा निधि से कार्य संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

8. साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों की शेल्फ–लाईफ सीमित होती है अतः वितरक का यह दायित्व होगा कि वह दूध एवं साँची के अन्य उत्पादों की अग्रिम मांग शेल्फ–लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए वितरण/विक्रय करें।

9. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा आवंटित कार्य समय–समय पर सूचित समय सारणी अनुसार करना अनिवार्य होगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध वं सांची के समस्त उत्पाद की मूल्य तालिका से संबंधित को अवगत कराना अनिवार्य हागा।

11. द्वितीय पक्ष को वितरक का कार्य हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने यह कार्य दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो कार्य आवंटन निरस्त कर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।

12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर–निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का पालन करना द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी।

13. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को आवंटित शहर में साँची दूध एवं अन्य उत्पाद की उसके द्वारा लिखित मे सूचित पते पर सिगल पांइट डिलेवरी की जावेगी।

13. यह कि सामग्री रख–रखाव हेतु फ्रिज/डीप फ्रिजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान निर्धारित डिग्री रखकर साँची दूध व दुग्ध उत्पाद का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।

14. वितरक को साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरण/विक्रय हेतु दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित तापमान एवं क्षमता का स्वयं का अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड वाहन लगाना अनिवार्य होगा।

15. वितरक के पास उक्त शहर/क्षेत्र में स्वयं का ऑफिस/आउटलेट होना चाहिये।

16. वितरक तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय नहीं करेगा। वितरक द्वारा तंबाकू/मादक पदार्थ/अन्य आपत्तिजनक पदार्थ वितरण/विक्रय करते हुए पाये जाते है तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी वितरक के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन वितरक को करना होगा। वितरक द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि/सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता वितरक द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।

17. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वितरक साँची दूध एवं समस्त उत्पादों का वितरण/विक्रय करेंगे। यदि दुग्ध संघ द्वारा वितरक को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध साँची के समस्त उत्पादों आदि का वितरण/विकय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रू. 5000/– का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वाहन वितरक को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

18. यह कि कार्य पर होने वाले व्यय जैसे किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।

19. प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दुग्ध/दुग्ध पदार्थ/साँची के उत्पादों की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा सीधे संबंधित दुग्ध संघ के निर्धारित बैंक में अग्रिम जमा कराया जाना होगा ! यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी !

20. प्रदायकर्ता दुग्ध संघ को द्वितीय पक्ष प्रदाय किये गये दूध एंव दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा साथ ही संघ में रेखांकित एंव हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पडने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा ! धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा तथा आवश्यकता पडने पर विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

ए. धनादेश के अनादरित होने पर रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/के मान से वसूली जवेगी रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरिक होने पर अर्थदंड रू.2000/ प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा ।

बी. यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नही की जाती है तो 8 वें दिवस से 14 वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रू. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू. 2000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू. 4000/— प्रति दिवस के माने से वसूल की जाएगी।

21. द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ—साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान में बचाया जा सके।

22. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत वितरक बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधितों से कर रहा है। अतः संबंधितों से लेन—देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा—निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

23. वितरक को प्रथम पक्षकार (दुग्ध संघ) यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु निर्देशित करेगा तो वितरक को वह वितरण/विक्रय करना अनिवार्य होगा।

24. यह कि दुग्ध संघ द्वारा सामग्री की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही सामग्री प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण/विक्रय करेंगे। प्राप्ति के उपरांत सामग्री की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

25. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे। यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी । प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नही रहेगी। वितरक खाद्य सुरक्षा अधिनियम पंजीयन कराने, लाईसेंस प्राप्त करने नवीकरण कराने व नियम के पालन हेतु बाध्य रहेगा।

26. यह कि वितरक के प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल, केन, क्रेटस, बॉटल प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट—फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करनी होगा ।

27. यह कि दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्स, बॉटल का लेखा—जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ के खाली क्रेटस का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।

28. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत् रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा।

29. यह कि शासन/प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ के भंडारण/वितरण/विक्रय संबंधी जो भी नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, कार्य निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

30. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर साँची दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बधनकारक रहेंगे।

31. मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में वितरक को दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार निर्धारित मार्जिन/कमीशन दिया जावेगा। मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों हेतु सामग्री का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पृथक हो सकता है। अतः द्वितीय पक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के बाहर विक्रय हेतु प्रदाय सामग्री का विक्रय मध्यप्रदेश के अन्दर न हो। किसी विशेष क्षेत्र हेतु तैयार की गई सामग्री का पैकेट उसी क्षेत्र में विक्रय किया जाए अर्थात मार्जिन/कमीशन/मूल्य एवं पैकिंग का दुरूपयोग न हो।

32. अनुबंधित वितरक को दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ से निर्धारित प्रक्रिया एवं दरों पर प्राप्त करने होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मांग की आपूर्ति किया जाना संभव न हो अन्य दुग्ध संघो से वितरक स्वयं के परिवहन व्यय पर साँची दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे।

33. दुग्ध संघ द्वारा वितरक कार्य आवंटन की स्थिति मे दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के विक्रय के लक्ष्य माहवार एकजाई प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। लक्ष्य पूर्ण नही होने पर कार्यादेश समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगी।

34. वितरक को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्धता कराना अनिवार्य होगा, इस हेतु कम्पूयूटराईज्ड प्रिंटेड बिल व्यवस्था स्वयं से करनी होगी।

35. यह कि इस अनुबंध की शर्तो व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

36. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाऐंगे।

37. वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप एवं उसकी समस्त शर्ते भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत् प्रतिशत् पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।

38. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एम.पी.सी.डी.एफ.भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में बारबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

39. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्र अधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

40. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र दुग्ध संघ मुख्यालय ग्वालियर शहर का न्यायालय होगा।

41. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की शर्तो एवं अनुबंध की शर्तो में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तो का स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

42. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तो के उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया है एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दवाब के अनुबंध हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया गया है।

दिनांक.....

गवाहः–

हस्ताक्षार

1. हस्ताक्षर–
   नाम–
   पता–

1. प्रथम पक्षकार

2. हस्ताक्षर–

   नाम–
   पता–

2. द्वितीय पक्षकार

परिशिष्ट 'अ'

एम.पी.सी.डी.एफ.भोपाल/इससे संबद्ध दुग्ध संघों के माननीय अध्यक्ष/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम – .....

पिता – .....

आयु – .....

निवासी / पिन कोड़ नम्बर – .....

01– ग्वालियर दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा ..... (शहर व राज्य का नाम) में वितरक क चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा .....(शहर व राज्य) में वितरक के कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि एम.पी.सी.डी.एफ.भोपाल/इससे संबद्ध दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं उनके आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूॅ।

इति दिनांक ..... शहर हस्ताक्षर शपथगाहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... शहर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

परिशिष्ट 'ब'

एमपीसीडीएफ एवं इसके अधीनस्थ दुग्ध संघों या अन्य किसी भी स्थानीय दुग्ध संघों में रिकार्ड खराब नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम –
पिता –
आयु –
निवासी –

1– मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूॅ कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ..... (शहर व राज्य) में वितरक आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल/इससे सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ या अन्य स्थानीय दुग्ध संघों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण रिकार्ड खराब नही है।

इति दिनांक ..... शहर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... शहर हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

किसी भी पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम –
पिता –
आयु –
निवासी –

1– मुझ शपथग्रहिता द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ..... (शहर व राज्य) में वितरक के कार्य हेतु आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मै शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नही है ।

इति दिनांक ..... शहर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... शहर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मैसर्स ..... वर्तमान में ..... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.....के साथ ..... के रूप में कार्यरत् है तथा आज दिनांक ..... तक की स्थिति में श्री/श्रीमती/मैसर्स की तरफ .....सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... की कोई भी लेनदारी शेष नही है। श्री/श्रीमती/मैसर्स ..... को ..... (शहर व राज्य) में वितरक के कार्य हेतु आवेदन में भाग लेने पर ..... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... आपत्ति नही है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
.....सहकारी दुग्ध संघ